न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 200/2017 (उदयपुर डिकी)

रामा उर्फ रामचन्द्र पिता भीमा जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पिता दूदा जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. जीवा पिता दूदा जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मदन पिता दूदा जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. छगन पिता भगवान जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. कालु पिता भगवान जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. धमेन्द्र पिता चेनराम, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती मांगीबाई पत्नी चेनराम जी गाडरी, निवासी आसना, तह. मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. सीमा कुमारी पुत्री चेनराम, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती मांगीबाई पत्नी चेनराम जी गाडरी, नि. आसना, तह. मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मांगीबाई पत्नी चेनराम जी गाडरी, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला, उदयपुर (राज.)
10. उप–पंजीयक मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. पटवारी, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली

दिनांक 30.06.2016, प्र. सं. 85/14

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री मनीष शर्मा अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री रोशनलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 2, 3, 6, 7, 8

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक 9 से 11

———:::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' में अंकित कुल किता 11 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा में वादी व उसकी माता लाली का 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 4 व 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 1/12 हिस्सा अनुसार दर्ज है। वादी की माता लाली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस वादी है। इसी प्रकार कलम संख्या 1 ''ब'' में अंकित कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी के नाम अंकित है। उक्त भूमि का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा स्वतंत्र रूप से घोषित किया जावे तथा मृतक लाली के 1/3 हिस्से का भी वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30–06–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं

थी, हाल ही पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अपीलान्ट की उपस्थिति में पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा धारा 5 जाब्ता मियाद में उठाये गये कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं, फिर भी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डन्ट संख्या 2, 3, 6, 7, 8 की ओर से वकील श्री रोशनलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9, 10, 11 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 6, 7, 8 की ओर लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि पत्रावली रेस्पोन्डेन्ट/ प्रतिवादी के जवाब के अवसर हेतु नियत थी, किन्तु उनका जवाब लिये बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिनकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट स्वयं कैम्प में उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलान्ट को प्रकरण स सम्पूर्ण जानकारी थी, सारे कथन मिथ्या व मनगढ़न्त हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उभयपक्षों को सुनकर वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

रामा उर्फ रामचन्द्र पिता भीमा गाडरी, जी गाडरी, नि.आसना, तह.मावली, जिला उदयपुर

बनाम

नारायण पिता दूदा निवासी आसना, तह॰ मावली, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....200 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....30.....माह.....06.... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री मनीष शर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री रोशनलाल डांगी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....04... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।